

प्रस्तुप - दो  
 (नियम 3 (4) देखिए)  
 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

तारीख - 30-7-2011  
 (संशोधित जारी दिनांक-26-4-2012)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 60 ब/121 वर्ष 2010-11

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999 के अधीन-

श्री / श्रीमती / मेसर्स  
 आत्मज  
 निवासी

मोहल्ला

ग्राम / वार्ड  
 नगर  
 तहसील  
 जिला

सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइलि० (छ०ग०)द्वारा डायरेक्टर, श्री सुबोध सिंघानिया  
 श्री एस०एल०सिंघानिया  
 कार्या. श्याम चैम्बर, तृतीय एवं चतुर्थ तल हीरापुर रोड,  
 रायपुर, छ०ग०  
 रजिस्ट्रीफिस आमानाका, जी०ई०रोड, रायपुर  
 कार्या. श्याम चैम्बर, तृतीय एवं चतुर्थ तल, हीरापुर रोड, रायपुर, छ०ग०  
 रजिस्ट्रीफिस आमानाका, जी०ई०रोड, रायपुर  
 मोहबाबाजार, रायपुर, (छ०ग०)  
 रायपुर (छ०ग०)  
 रायपुर  
 रायपुर, छ०ग०

को एतद द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है -

- (1) यह रजिस्ट्रीकरण ग्राम पंचायत औरेठी, तहसील सिमगा के क्षेत्र तक सीमित है।
- (2) प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की पूर्व सूचना कालोनाईजर को देना होगी।
- (3) प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कालोनी की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।



ठीकाना - नियमानुसार कालोनी के विकास की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात ही कालोनी की स्थापना, इसका विकास कार्य, भू-खण्डों / भवनों का विक्रय या विक्रय का करार वैद्य होगा।

स्थान - भाटापारा  
 तारीख - 30-7-2011  
 (संशोधित जारी दिनांक-26-4-2012)

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

अनुब्हवसिंह अधिकारी (रा.)  
 अनुब्हवसिंह अधिकारी  
 भाटापारा

Director